

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नानू

बनाम

किशोरीलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 46 सन-2022

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम का तामिल
 में जारी हुए

2022

वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 80/72 की कुल 6.9050हैक् कृषि भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 31.05.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

31/5/22

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वी.ओ. ब्राह्म
 ...अ.य. पत्र ...
 पत्रावली दि. 17/6/22 को पेश हो

17/6/22

~~पत्रावली पेश हुई वकील सायल व सायल
 उपस्थित नहीं पुन सायल व सायल
 व अधिवक्ता को आवेदन लगाया जाई
 सायल व सायल को अधिवक्ता उपस्थित
 नहीं जाई वकील सायल उपस्थित
 हाजरी में खारिज किया गया है
 पत्रावली तारीख 17/6/22~~